समाहरणालय, पूर्णियाँ
(जिला निर्वाचन, प्रशाखा)
पत्रांक /जि० नि०

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह-
जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार पटना

पूर्णियाँ दिनांक ..../

विषय :- निविदा सूचना का प्रकाशन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आलोक में पूर्णियाँ जिले के सभी सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के ईपिक निर्माण एवं फोटो निर्वाचक सूची की तैयारी हेतु निविदा सूचना की चार हार्ड कॉपी एवं एक सॉफ्ट कॉपी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजी जा रही है ।

अतः अनुरोध है कि इसका प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्रों के अगले अंक में करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक - यथोक्त ।

ह०

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह-
जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ

ज्ञापांक 282............/जि० नि० दिनांक 24.4.12../

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला स्तरीय क्रय समिति के सदस्य यथा उप विकास आयुक्त, पूर्णियाँ/ सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, पूर्णियाँ/आयकर पदाधिकारी, पूर्णियाँ/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पूर्णियाँ/ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णियाँ/जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को दिनांक 10.05.2012 को 3.00 बजे अपराह्न जिला क्रय समिति की बैठक में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णियाँ को अनुलग्नक प्रति के साथ वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को निविदा की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह-
जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ

समाहरणालय, पूर्णियाँ
(जिला निर्वाचन, प्रशाखा)
पुनर्निविदा सूचना

पूर्णियाँ जिलान्तर्गत सभी सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मुद्रण तथा ईपिक निर्माण हेतु योग्य एवं अनुभवी फर्म से निविदा आमंत्रित की गई थी। जिसे तकनीकि कारणों से निरस्त करते हुए उक्त दोनों कार्यो के निमित्त योग्य एवं अनुभवी फर्म से पुनः निविदा आमंत्रित की जाती है। अनुभवी फर्म जो तकनीकि शर्त्तों को पूरा करते हों, सीलबंद लिफाफे में एक तकनीकि निविदा तथा दूसरा वित्तीय निविदा उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णियाँ के कार्यालय में दिनांक 10.05.2012 को 2.00 बजे अपराह्न तक दे सकते हैं। तकनीकि निविदा के सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। प्राप्त सभी निविदायें दिनांक 10.05.2012 को 3.00 बजे अपराह्न जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी।

तकनीकि निविदा की शर्तें

1. फर्म को बिहार वाणिज्य कर (VAT) में एवं आयकर में (PAN No) निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
2. निविदा के साथ मो0 25,000.00 (पचीस हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट) जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का हो तथा जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा।
3. फर्म को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के निर्माण तथा निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मुद्रण से संबंधित पूर्व का अनुभव होने पर उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।
4. फोटो निर्वाचक सूची एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण का कार्य अन्योन्याश्रित (Interdependent) होने के कारण कार्यहित में दोनों कार्यो के लिए एक ही एजेंसी का चयन किया जाएगा। बिहार के अनुभवी एजेंसी को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. फर्म के पास पर्याप्त आधारभूत संरचना यथा कम्प्यूटर्स/लेजर प्रिंटर्स/जेनरेटर/डिजिटल कैमरा/लेमिनेशन मशीन/UPS आदि की उपलब्धता से संबंधित स्वामित्व प्रमाण-पत्र देना होगा तथा उसका पूर्ण Specification (विवरण) भी देना होगा। उपलब्ध संसाधनों (Resources) की समीक्षा के उपरान्त ही फर्म को कार्यादेश देने पर विचार किया जाएगा।
6. डाटा इंट्री कार्य के दौरान कितने कम्प्यूटरों व आपरेटरों को लगाया जाएगा तथा ऑपरेटरों का नाम शैक्षणिक योग्यता तथा पूर्व के कार्यो का अनुभव भी संलग्न करना होगा।
7. आवंटित कार्य की SUB CONTRACTING किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी तथा ऐसा पाया जाता है तो तुरंत कार्यादेश वापस ले लिया जाएगा एवं जमा की गई जमानत राशि जब्त करते हुए कानूनी कारंवाई भी की जा सकती है।
8. फर्म द्वारा प्रयुक्त सिस्टम में अनुज्ञप्ति (LICENCED) ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एंटी वायरस सॉफ्टवेयर होने संबंधी प्रमाण-पत्र (मूल सी0डी0 सहित) संलग्न करना होगा।
9. चयनित फर्म को सभी कार्य पूर्णियाँ मुख्यालय में रहकर करना होगा तथा इसके लिए आवश्यक विद्युत/जेनरेटर आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी। पूर्णियाँ से बाहर कार्य करने की शर्त्त किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी।
10. फोटो पहचान पत्र निर्माण हेतु ON LINE एवं OFF LINE तथा फोटो से स्कैन कर ईपिक तैयार करने का दर अलग-अलग अंकित करना होगा तथा इसके लिए उपलब्ध संसाधनों की विवरणी

यथा कम्प्यूटर्स (PENTIUM IV OR ABOVE SYSTEM WITH A MINIMUM OF 12 GBHDD, RAM 64 MB. DIGITAL/CCD) लेजर प्रिंटर्स (16PPM) (1200dpi) जेनरेटर, यु0पी0एस0 कम से कम आधा बैकअप एवं MAN POWER की क्षमता अलग से देना होगा। ON LINE के लिए DPL जिला स्तर से निर्धारित किया जाएगा तथा OFF LINE के लिए फोटोग्राफी सभी मतदान केन्द्रों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार करना होगा एवं फोटोग्राफी के सात दिनों पूर्व प्रपत्र 001 जेनरेट कर वितरण हेतु उपलब्ध कराना होगा।

11. फोटो पहचान पत्र का निर्माण मतदाताओं से प्राप्त प्ररूप-8 में संलग्न फोटोग्राफ को स्कैन करके रीनेम एवं पोर्टिंग भी किया जाना है, इसके लिए स्कैनर की उपलब्धता एवं SPECIFICATION का भी वर्णन करना होगा।

12. मतदाता फोटो पहचान पत्र अब 5cmx8.4cm का होगा तथा प्रयुक्त कागज की मोटाई 165gsm से कम नही होनी चाहिए तथा लेमिनेशन हेतु पालियेस्टर फिल्म की मोटाई 125 माईक्रोन से कम नही होनी चाहिए।

निर्धारित शर्त्तो एवं कार्य की विवरणी एवं निविदा प्रपत्र निर्वाचन नाजीर के पास मो0 500.00 (पाँच सौ रूपया) नगद जमा करने के पश्चात् नाजीर रसीद लेकर कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही निविदा देना होगा। अन्य प्रपत्र में दिया गया निविदा मान्य नहीं होगा।

13. फर्म को लेजर प्रिंटर्स से मुद्रण करने में ORIGINAL TONER प्रयोग करना होगा, तथा किसी भी परिस्थिति में REFILLED TONER से कार्य स्वीकार्य नहीं होगा, प्रयुक्त किये जाने वाले संभावित TONER के ब्रांड की विवरणी देनी होगी। ध्यान रहे कि फोटोयुक्त मतदाता सूची की प्रतियों का मुद्रण लेजर प्रिंटर्स से ही किया जाएगा, तथा छायाप्रति मान्य नहीं होगी। इसके लिए उत्तम कोटि का लेजर प्रिंटर्स Model HP MFP-4345X होनी चाहिए। अन्य Model का प्रिंटर प्रयोग करने पर उसकी उपलब्ध संख्या की विवरणी तकनीकी निविदा में दे देनी होगी।

14. मतदाता फोटो पहचान पत्र का निर्माण एवं फोटो निर्वाचक सूची का मुद्रण हेतु अलग-अलग फर्म या एक से अधिक फर्म को विधानसभावार कार्य आवंटित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

15. तकनीकि निविदा के साथ समेकित रूप से निम्नांकित बिन्दुओं पर UNDER TAKING देना होगा :-

i. आवंटित कार्य का SUB CONTRACTING नहीं करने का UNDER TAKING देना होगा।

ii. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-पटना द्वारा एवं जिला स्तर से दी जानेवाली कार्यो को निर्धारित अवधि से पूर्व सम्पादित करने का UNDER TAKING देना होगा।

iii. जिला मुख्यालय, पूर्णियाँ में रहकर कार्य पूर्ण करने का UNDER TAKING देना होगा।

iv. मतदाता फोटो पहचान पत्र के निर्माणार्थ निर्वाचन विभाग, पटना द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप कार्य करने का UNDER TAKING देना होगा।

v. मुद्रण संबंधी कार्यो में ऑरिजनल टोनर प्रयोग करने का UNDER TAKING देना होगा।

वित्तीय निविदा :- तकनीकि निविदा में दिये गये शर्तो का पालन करने वाले फर्म का ही वित्तीय निविदा (जो सीलबंद होनी चाहिए) जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। वित्तीय निविदा में सभी प्रकार के कार्य का दर अलग-अलग निम्न प्रपत्र में जो कार्यालय द्वारा 500.00 (पाँच सौ रूपये) जमा करने पर निर्गत की जाएगी में होना चाहिए। अंकित दर सभी तरह के कर सहित होना चाहिए, अंक एवं शब्द में होना चाहिए।

वित्तीय निविदा का प्रपत्र

1	मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण	.... रूपया/पैसे प्रति **EPIC ON LINE** .... रूपया/पैसे प्रति **EPIC OFF LINE** .... रूपया/पैसे प्रति **EPIC** (छायाचित्र का स्कैनिंग, रीनेमिंग एवं पोर्टिंग के साथ)
2	निर्वाचक से संबंधित नई प्रविष्टि (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रत्येक) की आठ कॉलम में डाटा इंट्री प्रति प्रविष्टि	.... रूपया/पैसे प्रति प्रविष्टि
3	प्रति प्रविष्टि विलोपन का दर प्रति प्रविष्टि संशोधन का दर (हिन्दी एवं अंग्रेजी)	.... रूपया/पैसे प्रति प्रविष्टि .... रूपया/पैसे प्रति प्रविष्टि
4	लेजर प्रिंटर से A4 सेंचुरी पेपर में मुद्रण का दर **Original Tonner** से	.... रूपया/पैसे प्रति पृष्ठ एक तरफ। .... रूपया/पैसे प्रति पृष्ठ दोनो तरफ।
5	नजरी नक्शा का स्कैनिंग	.... रूपया/पैसे प्रति पृष्ठ एक तरफ।
6	छिद्रण एवं बाईडिंग कवर सहित	.... रूपया/पैसे प्रति/सैकडा पुस्तिका केन्द्र।
7	कन्ट्रोल टेबुल का शुद्धिकरण प्रति फिल्ड	.... रूपया/पैसे प्रति फिल्ड।
8	पी०डी०एफ० सी०डी० (छाया चित्र रहित) एवं पी०डी०एफ० सी०डी० (छाया चित्र सहित)	.... रूपया/पैसे प्रति विधानसभा। .... रूपया/पैसे प्रति विधानसभा।
9	छाया प्रति (प्रति एकल पृष्ठ) एवं छाया प्रति (प्रति दोनों पृष्ठ)	.... रूपया/पैसे प्रति एकल पृष्ठ। .... रूपया/पैसे प्रति दोनों पृष्ठ।

निविदादाता का हस्ताक्षर

1. उपरोक्त कार्यो के इच्छुक फर्म उपरोक्त प्रपत्र में दर रूपया/पैसे में अंक एवं शब्द में स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे तथा नीचे हस्ताक्षर करेंगे। जिस कार्य से वे संबंध नहीं रखते हों उसके दर वाली स्तंभ में (X) का निशान लगा देंगे।
2. अपूर्ण एवं बिना हस्ताक्षर किये हुये वित्तीय निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
3. निर्धारित तिथि/समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
4. चयनित फर्म द्वारा सफलतापूर्वक समयबद्ध ढंग से कार्य निष्पादन के उपरांत भुगतान किये जाने वाले विपत्र पर सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में श्रोंत पर कर (TAX) की कटौतियाँ कर ली जाएगी।
5. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन विलम्ब के लिए 1000.00 (एक हजार रूपये प्रतिदिन) राशि की कटौती की जा सकती है, तथा एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा की गई जमानत की राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा सकती है।
6. डाटा इन्ट्री से संबंधित कार्य समाप्ति के उपरांत फर्म को दो प्रति विधानसभा क्षेत्रवार (ABCD) तथा एक प्रति विधानसभा क्षेत्रवार PS CD देना होगा। दिये गये CD के वायरस मुक्त होने का प्रमाण-पत्र के उपरांत ही निर्धारित शर्त्तो के अधीन भुगतान होगा।
7. **फोटोयुक्त मतदाता सूची के निर्माण में मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए SOFTWARE की मदद से INTEGRATION तथा CONSOLIDIATION करने पर उसका अलग से चार्ज देय नहीं होगा।**

उपरोक्त शर्त्तो के अलावे समय-समय पर निर्वाचन विभाग, पटना या भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्त्तों का पालन करना होगा तथा बगैर कोई कारण बताए किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
-सह-
जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ